न्यायालय जिला कलेक्टर, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी–डॉ0 गौरव सैनी

अपील संख्या– 47/23 तारीख रज्जू–12/09/23

1 याकूब पुत्र राजूद्दीन उम्र 45 साल जाति मुसलमान बंजारा निवासी अलीगंज तहसील गंगापुर सिटी।
——अपीलान्ट

बनाम

1. रामदुलारी बेवा जगन जाति महाजन नि0 खूंटला तहसील गंगापुर सिटी।
2. सरकार जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी।
–रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय दिनांक– 7/05/2024

अपीलान्ट ने यह अपील ग्राम खूंटला के नामान्तकरण संख्या 380 में पारित निर्णय दिनांक 07/10/2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त नामान्तकरण द्वारा तहसीलदार गंगापुर सिटी ने ग्राम खूंटला सलोना में स्थित भूमि ख0नं0 1669/1 रकबा 1.26है0 रेस्पोडेन्ट सं0 1 के पक्ष मे गैर खातेदारी का नामान्तकरण तस्दीक किया है , साथ ही अपीलान्ट ने नामान्तकरण सं0 380 निर्णय दिनांक 07/10/2001 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पों0 सं0 1 व 2 बावजूद सूचना उप0 नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई तथा अधिनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तकरण प्राप्त होने पर अपीलार्थी की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि रेस्पों0सं0 1 रामदुलारी बेवा जगन जाति महाजन को ग्राम खुटला में स्थित भूमि ख0नं0 820 में से 5 बिघा भूमि आवंटित हुयी थी, जिसका नया नम्बर 1669/1 कायम किया है। आवंटन के बाद गैर खातेदारी का नामान्तकरण सं0 4 दिनांक 11/03/86 को रामदुलारी के हक में भूमि का गैरखातेदारी नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया। भूमि आवंटन के समय से ही रामदुलारी का मौके पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा, रामदुलारी के हक में गैर खातेदारी से खातेदारी के हक में देने के लिये नामान्तकरण सं0 212 खोला गया था, लेकिन रामदुलारी का मौके पर कब्जा नहीं होने के कारण एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने के कारण दिनांक 20.07.92 को उक्त नामान्तकरण खारिज कर दिया गया। लेकिन पुनः नामान्तकरण सं0 380 दिनांक 07/10/2001 को गैरखातेदारी से खातेदारी का रेस्पोडेन्ट के हक में नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया , जबकि रेस्पोडेन्ट ने कभी भी आवंटन शर्तो की पालना नहीं की तथा भूमि पर कभी भी रेस्पोडेन्ट का कब्जा नहीं रहा तथा भूमि आवंटन से अब तक समस्त गिरदावरियों में पडत दर्ज है। जिसके बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट के हक में तस्दीक कर दिया गया जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। साथ ही वकील अपीलान्ट आरआरटी 2021(1) पेज नं0 213 महताब बनाम रज्जों , आरआरटी 2013(1) पेज नं0 192

7/5/24

जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज0)

विनोद कुमार वगै0 बनाम राजस्थान राज्य, आरआरटी 2004 (2) पेज नं0 1033 शंकरलाल वगै0 बनाम राज्य नजीरे प्रस्तुत करते हुए नामान्तकरण सं0 380 निर्णय दिनांक 07/10/2001 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई, उस पर मनन किया गया व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील नामान्तकरण सं0 380 निर्णय दिनांक 07/10/2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी संवत 2073-76 के अनुसार उक्त वाद आराजीयात काश्तकार मोति पत्नि मोहनलाल हिस्सा पूर्ण जाति महाजन निवासी कचहरी रोड गंगापुर सिटी के नाम दर्ज है। लेकिन अपीलार्थी द्वारा वर्तमान काश्तकार को उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है, साथ ही अपीलार्थी उक्त नामान्तकरण से किस प्रकार प्रभावित है तथा किस प्रकार उक्त वाद आराजीयात में अपीलार्थी का हित निहित है, इसका भी कहीं उल्लेख अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस एवं प्रस्तुत अपील में नहीं किया गया है। चुकि उक्त वाद आराजीयात में रेस्पोडेन्ट सं0 1 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील में गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार को चुनौती दी है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरे आरआरटी 2021(1) पेज नं0 213 महताब बनाम रज्जों, आरआरटी 2013(1) पेज नं0 192 विनोद कुमार वगै0 बनाम राजस्थान राज्य, आरआरटी 2004 (2) पेज नं0 1033 शंकरलाल वगै0 बनाम राज्य नजीरों का अवलोकन किया गया उक्त नजीरे राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4), आवंटन निरस्त के संबंध में है। जबकि अपीलार्थी द्वारा नामान्तकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। अतः उक्त नामान्तकरण अपील में वकील अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरों से मै सहमत नहीं हूँ।

उक्त परिस्थितियों में हमारे विनम्र अभिमत में अपील अस्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा नामान्तकरण संख्या 380 में पारित निर्णय दिनांक 07/10/2001 वाके ग्राम खूंटला यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07/05/2024........... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7/5/24

(डॉ0 गौरव सैनी)

जिला कलेक्टर

गंगापुर सिटी